

राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन और वशिलेषण केंद्र

प्रलिमि्स के लिये:

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency - NIA), राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन और विश्लेषण केंद्र (National Terrorism Data Fusion & Analysis Centre - NTDFAC), <u>अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (CCTNS)</u>।

मेन्स के लिये:

राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन और विश्लेषण केंद्र, आंतरिक सुरक्षा के लिये चुनौतियाँ पैदा करने में बाहरी राज्य तथा गैर-राज्य अभिकर्त्ता की भूमिका।

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency - NIA) ने राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन और विश्लेषण केंद्र (National Terrorism Data Fusion & Analysis Centre - NTDFAC) विकसित किया है जो सरकार को विभिन्न स्रोतों से आतंकवादियों तथा उनके सहयोगियों के बारे में जानकारी एकत्र एवं संकलित करने का काम करता है।

 NIA ने पहली बार इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के साथ-साथ खालिस्तानी आतंकवादी समूहों सहित सभी आतंकवादियों का विवरण एकत्र किया है।

राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन एवं वशिलेषण केंद्र (NTDFAC) क्या है?

- परचियः
 - o NTDFAC को अमेरिका के **वैश्विक आतंकवाद डेटाबेस (Global Terrorism Database GTD)** की तर्ज़ पर तैयार किया गया है।
 - GTD का प्रबंधन संयुक्त राज्य अमेरिका में मैरीलैंड विश्वविद्यालय में स्थित नेशनल कंसोर्टियम फॉर द स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रिस्पॉन्स टू टेररिज्म (START) द्वारा किया जाता है।
 - GTD एक सार्वजनिक रूप से सुलभ डेटाबेस है जो वैश्विक स्तर पर आतंकवादी घटनाओं पर डेटा एकत्रित और विश्लेषण करता
 है। यह प्रत्येक घटना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिसमें तारीख, स्थान, इस्तेमाल किये गए
 हथियार, अपनाई गई रणनीति, लक्ष्य और हताहतों की संख्या शामिल है।
 - यह आतंकवाद तथा देश में सक्रिय आतंकवादियों से संबंधित जानकारी के लिये एक केंद्रीकृत डेटाबेस और विश्लेषण केंद्र के रूप में काम करेगा।
 - वर्ष 2023 में गृह मंत्रालय ने सभी राज्य पुलिस बलों और आतंकवाद रोधी एजेंसियों को नए आतंकवादी समूहों के गठन को रोकने के लिये एक दृष्टिकोण अपनाने के लिये कहा था।
- प्रमुख विशेषताएँ:
 - व्यापक डेटाबेस: इसमें केस हिस्ट्री, फिगरप्रिट, वीडियो, तस्वीरें और सोशल मीडिया प्रोफाइल शामिल हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यकतियों का व्यापक अवलोकन प्रदान करते हैं।
 - स्वचालित फिगरप्रिट पहचान प्रणाली: NTDFAC में राष्ट्रीय स्वचालित फिगरप्रिट पहचान प्रणाली (National Automated Fingerprint Identification System - NAFIS) शामिल है जिसमें 92 लाख से अधिक फिगरप्रिट रिकॉर्ड हैं।
 - यह फगिरप्रिट डेटा के आधार पर व्यक्तियों की **त्वरित और सटीक पहचान** में सहायता करता है।
 - चेहरा पहचानयुक्त प्रणाली: यह चेहरा पहचान प्रणाली (face recognition system) से सुसज्जित है, जो CCTV फुटेज से संदिग्धों की तस्वीरों को स्कैन करने में सक्षम बनाता है, साथ ही यह तकनीक आतंकवादी गतविधियों में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने और उन पर नज़र रखने में मदद करती है।
 - ॰ राज्य पुलिस बलों के लिये सहायक: NTDFAC न केवल NIA अधिकारियों की सहायता करता है बल्कि संदिग्धों के विवरण की पहचान करने में राज्य पुलिस बलों की भी सहायता करता है।

• राज्य पुलिस बल अपने अधिकार क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिये केंद्रीकृत सर्वर का प्रयोग कर सकते हैं।

राष्ट्रीय स्वचालित फ्गिरप्रिट पहचान प्रणाली (National Automated Fingerprint Identification System- NAFIS) क्या है?

परचिय:

- o राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड बयूरो (National Crime Records Bureau NCRB) द्वारा संकल्पति और प्रबंधति, यह अपराध तथा आपराधिक-संबंधित फिगरपुरिट का एक देशवयापी खोज योग्य डेटाबेस है।
- ॰ वेब आधारति यह एपलकिशन सभी राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों से फगिरप्रटि डेटा को समेकति करके एक केंद्रीय सूचना भंडार के रूप में कार्य करता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- ॰ वेब-आधारति अनुप्रयोग (Application): यह प्रणाली एक वेब-आधारति एप्लिकेशन के रूप में काम करती है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 24x7 आधार पर वास्तविक समय में फगिरप्रिट डेटा तक पहुँचने और प्रबंधित करने की अनुमति देती है।
- ॰ वशिष्टि पहचानकर्त्ता: NAFIS किसी अपराध के लिये गरिफ्तार किये गए प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय 10-अंकीय राष्ट्रीय **फ़गिरप्रिट नंबर** (NFN) प्रदान करता है।
 - इस विशिष्ट आईडी का उपयोग व्यक्ति के जीवनकाल तक किया जा सकता है औरविभिन्न FIR के तहत दर्ज विभिन्न अपराधों को एक ही NFN से जोड़ा जाएगा।
- CCTNS के साथ एकीकरण: NAFIS बैकएंड पर अपराध तथा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवरक एवं परणाली (CCTNS) डेटाबेस से जड़ा है. जो CCNTS में परतयेक गरिफतार वयकति के लिये एक विशिषट पहचानकरतता परदान करता है।
- ॰ **रीयल-टाइम डेटा अपलोड और पुनःप्राप्ति:** यह प्रणाली कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वास्तविक समय में <mark>फगि</mark>रप्रटि डेटा अपलोड करने, ट्रेस करने और पुनर्पराप्त करने में सक्षम बनाती है, जिससे आपराधिक पहचान प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ जाती है।
- ॰ **प्रणालियों के लिये प्रतिस्थापन:** NAFIS भारत में स्वचालित फृगिरप्रिट पहुंचान प्रणालियों की शुंखला में नवीनतम पुनरावृत्ति है जिस पुराणी प्रणाली FACTS 5.0 के स्थान पर लाया गया है। Vision

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) क्या है?

परचिय:

- o NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है जो**आतंकवाद, उगरवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित अपराधों की जाँच** एवं मुकदमा चलाने हेतु ज़िम्मेदार है। इसमें शामिल है:
 - वदिशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध।
 - परमाणु एवं नाभिकीय सुवधाओं के वरिद्ध।
 - हथियारों, नशीली दवाओं और नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी तथा सीमा पार से घुसपैठ।
 - संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों तथा प्रस्तावों को लागू करने के लिये पारति वैधानिक कानूनों का उल्लंघन।
- ॰ इसका गठन राषटरीय जाँच एजेंसी (NIA) अधनियम, 2008 के तहत किया गया था।
- ॰ एजेंसी को गृह मंत्रालय की लखिति उद्घोषणा के तहत राज्यों की वशिष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जाँच से निपटने का अधिकार है।
- ॰ मुख्यालय: नई दल्लिी

स्थापनाः

॰ वर्ष 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, 2008 के तहत इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी, यह गृह मंत्रालय के तहत संचालित होती है।

अधिकार क्षेत्र:

- o जिस कानून के तहत एजें<mark>सी काम करती है वह पूरे भारत में लागू होता है और देश के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है।</mark>
- सरकार की सेवा में कार्यरत व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी तैनात हों।
- भारत में पंजीकृत जहाज़ों और विमानों पर सवार व्यक्ति चाहे वे कहीं भी हों।
- ॰ वे व्यक्ति जो भारतीय नागरिक के खिलाफ भारत से बाहर कोई अनुसूचित अपराध करते हैं या भारत के हित को प्रभावित करते हैं।

सूचीबद्ध अपराध क्या होते हैं?

- अधिनियम की अनुसूची उन अपराधों की एक सूची निर्दिष्ट करती है जिनकी जाँच के साथ ही NIA द्वारा मुकदमा चलाया जाना है।
- सूची में शामिल हैं:
 - ॰ वसिफोटक पदारथ अधनियिम
 - ॰ परमाणु ऊरजा अधनियिम
 - ॰ गैर-कानुनी गतविधियाँ (रोकथाम) अधनियम
 - अपहरण विरोधी अधिनयिम
 - ॰ नागरिक उड्डियन अधिनियिम की सुरक्षा के खिलाफ गैर-कानूनी अधिनियिमों का दमन

- ॰ सार्क अभिसमय (आतंकवाद का दमन) अधनियिम
- ॰ महाद्वीपीय शेल्फ अधनियिम पर समुद्री नेविगेशन और निश्चिति प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा के खिलाफ गैर-कानूनी कृत्यों का दमन
- ॰ सामुहकि वनाशं के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैर-कानूनी गतविधियाँ निषधे) अधनियम
- ॰ भारतीय दंड संहता, शस्तर अधनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधनियम के तहत कोई अन्य प्रासंगिक अपराध।
- ॰ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबसटेंस एकट

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?|?|?|?]:

प्रश्न. आतंकवाद का अभिशाप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक गंभीर चुनौती है। इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिये आप क्या उपाय सुझाएंगे? आतंकवादी फंडिंग के प्रमुख स्रोत क्या हैं? (2017)

प्रश्न. भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये बाह्य राज्य और गैर-राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। इन संकटों का मुकाबला करनेके लिये आवश्यक उपायों की भी चरचा कीजिये।(2021)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-terrorism-data-fusion-analysis-centre

